

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं०. 19/2021- सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी, 2021

का.आ. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (2) में संदर्भित कारण बताओ नोटिसों में न्याय निर्णयन करने के उद्देश्य से, इसी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित नोटिसी के मामले में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में संदर्भित अधिकारियों को दिये गए या सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
मै से प्रीमियर लिनेन्स फ़ाइन प्राइवेट लिमिटेड, आरआर लैंडमार्क, नो। 1ई-1, नवा इंडिया रोड, कोयम्बटूर- 641028	कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2020 F.No. CHE/398/C-III/TBA-2/2019-AUDIT और F.No. CHE/432/C-III/TBA-27/2019-AUDIT के तहत	(i) प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमाशुल्क, चेन्नई VII कमिशनरेट, न्यू कस्टम्स हाउस, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, GST रोड, मीनाम्बकम, चेन्नई- 600027 (ii) आयुक्त, सीमाशुल्क, चेन्नई IV कमिशनरेट, कस्टम्स हाउस नंबर 60, राजाजी सलाई, चेन्नई - 600001 (iii) आयुक्त, सीमाशुल्क, चेन्नई II कमिशनरेट, कस्टम्स हाउस नंबर 60, राजाजी सलाई, चेन्नई - 600001 (iv) आयुक्त, सीमाशुल्क (आयात), जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाउस, न्हावा शेवा, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र- 400707 (v) आयुक्त, सीमाशुल्क (आयात), न्यू कस्टम्स हाउस, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110037 (vi) आयुक्त, सीमाशुल्क (आयात), कस्टम्स हाउस, पोर्ट एरिया, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश- 530035	आयुक्त, सीमाशुल्क, चेन्नई IV कमिशनरेट, कस्टम्स हाउस नंबर 60, राजाजी सलाई, चेन्नई- 600001

